

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

संख्या: एफ. 11(5)सदन/विस/2026

जयपुर, दिनांक 17 अप्रैल, 2026

राज्यपाल महोदय की निम्नांकित आज्ञा दिनांक 17 अप्रैल, 2026 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान एतद्द्वारा सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के पंचम अधिवेशन का सत्रावसान करता हूँ।

(अंग्रेजी अनुवाद)

In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of Article 174 of the Constitution of India, I, Haribhau Bagde, Governor of Rajasthan, do hereby prorogue the Fifth Session of the Sixteenth Rajasthan Legislative Assembly.

हरिभाऊ बागडे
राज्यपाल, राजस्थान”

भारत भूषण शर्मा
प्रमुख सचिव

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

संख्या-एफ.11(5)सदन/विस/2026/ 12883-13332

जयपुर, दिनांक 17 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त सदस्य, सोलहवीं राजस्थान विधान सभा ।
2. राज्यपाल महोदय के सचिव, जयपुर ।
3. मुख्यमंत्री महोदय के सचिव, जयपुर ।
4. उप मुख्यमंत्रीगण के विशिष्ट सहायक।
5. समस्त मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
6. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
7. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर ।
8. प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
9. प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
10. समस्त अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. राजस्थान शासन सचिवालय के समस्त विभाग, जयपुर ।
12. महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली ।
13. महासचिव, राज्य सभा, संसद भवन, नई दिल्ली ।
14. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
15. सचिव, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
16. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
17. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
18. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
19. समस्त राज्य विधान मण्डलों के सचिव ।
20. निदेशक, आकाशवाणी, जयपुर ।
21. निदेशक, दूरदर्शन, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
22. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
23. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन एवं पथ, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
24. कार्यालय मंत्री, राजस्थान विधान सभा, भारतीय जनता पार्टी/ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी / बहुजन समाज पार्टी/ राष्ट्रीय लोकदल/ भारत आदिवासी पार्टी।
25. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
26. प्रमुख अनुसंधान एवं संदर्भ अधिकारी, राजस्थान विधान सभा सचिवालय।
27. नोडल अधिकारी, ई-गजट प्रकाशन, राजस्थान विधान सभा सचिवालय कृपया उक्त अधिसूचना को आज की दिनांक 17 अप्रैल, 2026 में राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
28. राजस्थान विधान सभा सचिवालय की समस्त शाखायें ।



(शिव कुमार शर्मा)

सहायक सचिव (सदन)